बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

मीठापुर, पटना–800 001 (बिहार)

Tel-0612-2356912, 2356913, Website-buhs.ac.in, Email-buhspatna@gmail.com

Annexure-2

No. संबं०-6153/2025....103..../ Patna, Dated 24/01/2026

CONSENT OF AFFILIATION

On the basis of the report of the Local Inquiry Committee the **Bihar University of Health Sciences, Patna** has agreed, in principle, to affiliate **Mahabodhi Medical College & Hospital, Mahabodhi Nagar, Gopalpur, Sherghati, Dist-Gaya-824211** for the **~~starting~~/increase of seats in UG medical course (MBBS)** with an annual **intake of 250 seats** for the academic **year-2026-27**, subject to grant of permission by the National Medical Commission u/s 26 of the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019).

This Consent of Affiliation shall be valid for processing of application for three academic years from the date of issue. It can be used only once during this validity period, irrespective of the outcome of the application.

24/01/2026

Registrar

Bihar University of Health Sciences, Patna

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES
मीठापुर, पटना–800 001 (बिहार)
Tel-0612-2356912, 2356913, Email-registrarbuhs-bih@gov.in

अधिसूचना

पटना, दिनांक 12/06/2026

अ०सं०:संब0–6179/2025–977**/** बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना की संबद्धता बोर्ड की बैठक की कार्यवली सं०–BOA-03/12 में दिनांक–29.05.2026 को गैर–सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा संबद्धता हेतु समर्पित आवेदनों पर सम्यक् विचारापरांत लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित सूची के कॉलम सं0 2 में अंकित गैर–सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय को कॉलम सं0 3 में अंकित पाठ्यक्रम एवं कॉलम 4 में अंकित नामांकन क्षमता के लिए बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से **सत्र–2025–26** हेतु अस्थायी संबद्धता (Temporary Affiliation) निम्नांकित नियम एवं शर्त्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

Sl No	Name of the Medical College	Course	Intake Capacity
1	**2**	**3**	**4**
1	Mahabodhi Medical College & Hospital, Naknuppa, Mahabodhi Nagar Gopalpur, Sherghati, Gayaji-824211	MBBS	**100**

नियम एवं शर्त्तें:–

1. अस्थायी संबद्धता "Regulation for Provisional Affiliation and Fee for Affiliation" तथा विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम में निहित प्रावधानों के तहत सशर्त प्रदान की जा रही है, जो सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किए जाने एवं अन्य शर्त्तो के अधीन होगी।
2. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा NMC, New Delhi से Approved सीटों से अधिक नामांकन नहीं लिया जाएगा। NMC, New Delhi द्वारा स्वीकृत एवं विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी गई सीटों की संख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में NMC, New Delhi द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या ही मान्य होगी।
3. संबंधित महाविद्यालय/संस्थान को निर्देश दिया जाता है कि नामांकित छात्र–छात्राओं के विश्वविद्यालय में पंजीयन के पूर्व वांछित कागजात/शुल्क विश्वविद्यालय कार्यालय में अचूक रूप से समर्पित कर देंगे। संबंधित महाविद्यालय द्वारा जमा किए गए शुल्क में भविष्य में कोई कमी पाई जाती हैं तो संबंधित महाविद्यालय द्वारा इसे जमा किया जाएगा।
4. विश्वविद्यालय/NMC, New Delhi/बिहार सरकार आदि द्वारा निर्धारित न्यूनतम आधारभूत संरचना एंव अन्य मापदण्डों की जॉच हेतु विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय/संस्थान का किसी भी कार्य दिवस को औचक निरीक्षण किया जा सकता है।
5. महाविद्यालय/संस्थान बिहार सरकार/बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय/NMC, New Delhi के नियमों/विनियमों आदि का पालन करने हेतु बाध्य होगा।
6. बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अधिनियम/परिनियम/विनियम आदि का पालन करना महाविद्यालय/संस्थान के लिए बाध्यकारी होगा।
7. महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा विश्वविद्यालय में समर्पित आवेदन पत्र के साथ संलग्न कागजातों को सही मानते हुए संबद्धता का अवधि विस्तार किया जा रहा है तथा कागजातों के सही होने की संपूर्ण जवाबदेही संबंधित संस्थान की है। भविष्य में किसी भी समय महाविद्यालयों द्वारा समर्पित कागजातों के सत्यापन में गलत पाए जाने की स्थिति में संबंद्धता को वापस ले लिया जाएगा तथा निमानुकुल कार्रवाई की जाएगी।

8. महाविद्यालयों / संस्थानों के द्वारा किसी प्रकार का गलत / भ्रामक सूचना देकर अथवा तथ्य / सूचना छिपाकर औपबंधिक संबद्धता प्राप्त करने पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।

कुलपति के आदेशानुसार

(विमलेश कुमार झा) 12/6/26.
कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं.–6179 / 2025–977 / पटना, दिनांक 12/06/2026

प्रतिलिपि–प्राचार्य / निदेशक / सचिव, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय / संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

12/6/26
कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं.–6179 / 2025–977 / पटना, दिनांक 12/06/2026

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार–सह–कुलाधिपति, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना / अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / सचिव, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

12/6/26.
कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं.–6179 / 2025–977 / पटना, दिनांक 12/06/2026

प्रतिलिपि–डीन (अकादमिक) / डीन (चिकित्सा विज्ञान) / डीन (परीक्षा) / परीक्षा नियंत्रक / वित्त पदाधिकारी / कुलपति के निजी सचिव, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

12/6/26.
कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना